मध्य प्रदेश शासन
लो स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

<u>आदेश</u>

भोपाल, दिनांक 27 AUG 2010

क्रमांक एफ 11–07/2009/2/34 :: विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 10 मई 2010 से विभागीय निविदाओं में ई–टेंडरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । राज्य शासन द्वारा निजी ठेकदारों के माध्यम से किये जाने वाले नलकूप खनन कार्यों में पारदर्शिता रखने एवं पर्याप्त प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के लिए नलकूप खनन कार्य की निविदाएं केवल ई–टेंडरिंग के माध्यम से ही आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है । इस आदेश के जारी होने के उपरांत प्राप्त की जाने वाली प्रत्येक नलकूप खनन कार्य की निविदाएं केवल ई–टेंडिरिंग पद्वति से ही अनिवार्य रूप से आमंत्रित की जाना सुनिश्चित किया जाए ।

जिला स्तर से नलकूप खनन कार्य की निविदाएं प्रत्येक जिले के विभिन्न विकासखंडों में, ग्रामों की पहुंच स्थिति (एप्रोचेबिलिटी) स्ट्रेटा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, पृथक पृथक समूहों में आमंत्रित की जाएं । सामान्यतः ये निविदाएं रूपये 10.00 लाख के समूहों में आमंत्रित की जा सकती हैं किंतु आवश्यकतानुसार समूहों की इस अनुमानित लागत में परिवर्तन भी किया जा सकता है । जिन समूहों के अंतर्गत कठिन पहुंच मार्ग तथा कठिन स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूपों के खनन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाएं उनमें स्वाभाविक रूप से अन्य सामान्य क्षेत्रों की तुलना में दरें अधिक प्राप्त होंगी अतः ऐसे समूहों में किसी भी सामान्य क्षेत्र के ग्राम को सम्मिलित नहीं किया जाए एवं स्वीकृति के उपरांत परिवर्तन भी नहीं किया जाए । इसके अतिरिक्त, जिले के अंतर्गत शेष सामान्य क्षेत्र के लिए पृथक समूह बनाकर निविदाएं आमंत्रित की जाएं एवं इन दोनों प्रकार के समूहों में विभिन्न स्थितियों तथा प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए, गुण दोषों के आधार पर प्राप्त निविदाओं पर निर्णय लिया जाए तथा कार्य कराये जाएं । समूहों का निर्धारण सावधानी से किया जाए एवं मुख्य अभियंता स्तर से इनका अनुमोदन किया जाए ।

प्रत्येक समूह में कार्य पूर्ण करने के लिए दी जाने वाली समय सीमा का निर्धारण भी सतर्कता से किया जाए तथा समय पर कार्य पूर्ण कराये जाएं । अनुपातिक प्रगति का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए एवं विलंब होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

/–
(शरद कुमार जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्र. एफ 11–07/2009/2/34
प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 27 AUG 2010

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश, भोपाल
2. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग